



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- जैसलमेर में आकस्मिक चैकिंग में तीन सहायक लेखाधिकारी (ऑडिट टीम) 7 लाख 74 हजार 500 रुपये की संदिग्ध नकदी के साथ पकड़े

जयपुर, 20 जनवरी, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जैसलमेर इकाई द्वारा आज सूत्र-सूचना पर कार्यवाही करते हुये गंगाराम, कैलाश चंद एवं महेन्द्र जाट तीनों सहायक लेखाधिकारी, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर (ऑडिट टीम) को जैसलमेर से जोधपुर जाते समय अल्टो कार में आकस्मिक चैकिंग कर 7 लाख 74 हजार 500 रुपये की संदिग्ध राशि के साथ पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जैसलमेर इकाई को एक सूत्र-सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर की एक तीन सदस्यीय ऑडिट टीम पंचायत समिति मोहनगढ़, जैसलमेर की अलग-अलग ग्राम पंचायतों की ऑडिट कर उनके कार्मिकों से ऑडिट रिपोर्ट के नाम पर अवैध वसूली करके जोधपुर लौट रही है। जिनके पास बड़ी मात्रा में अवैध धनराशि बरामद हो सकती है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में एसीबी जैसलमेर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री अनिल शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा कस्बा चांदन में पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी कर आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही करते हुये गंगाराम सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, कैलाश चंद सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय एवं महेन्द्र जाट सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय तीनों कार्मिक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर (ऑडिट टीम) को मोहनगढ़ से जोधपुर जाते समय अल्टो कार नं0 आर.जे.-19-सी.जी.-7265 में रूकवाकर आकस्मिक चैकिंग कर 7 लाख 74 हजार 500 रुपये की संदिग्ध राशि के साथ पकड़ा है। उक्त राशि के संबंध में उक्त कार्मिक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाये, जिस पर उक्त राशि कब्जा ए.सी.बी. ली गई। मौके पर कार्यवाही जारी है।

एसीबी के उच्चाधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।